न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदपुर, जिला– बरेली।

परिवाद सं0– 1607/2016
मोर सिंह बनाम श्रीमती कंचन लता आदि
थाना– फरीदपुर
जिला– बरेली।

दिनांक– 31.08.2018

पत्रावली आज परिवाद के विद्वान अधिवक्ता की बहस तलबी सुनने के पश्चात् आदेश हेतु नियत है। परिवादी ने परिवाद पत्र प्रस्तुत कर परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण को तलब करने की प्रार्थना की है। परिवाद अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 व साक्षी पी.डब्लू.1 मदन लाल एवं पी.डब्लू. 2 तारा सिंह, पी.डब्लू. 3 हरीराम के बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 के तहत दर्ज कराये हैं।

परिवाद ने अपने धारा–200 दं.प्र.सं. के बयान में इस आशय का कथन किया है कि मैंने बी0एस0सी0 बरेली कॉलेज से किया है मैं अविवाहित हूँ मैं और कंचनलता पत्नी जयपाल सिंह ग्राम करौंदा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर लगभग आठ साल से कार्यरत थे। कंचनलता व उनके पति ने मुझसे लगभग 25 हजार रूपये उधार मांगे और कहा रूपये 15 दिन में वापस कर देगें। मैंने दिनांक 30.04.2014 को अपने पिता हरीराम के सामने कंचनलता व उनके पति जयपाल को 25 हजार रूपये दिये। 15 दिन बाद पैसे मांगने पर दोनों टालमटोल करने लगे, बोले दे देगें तब मैंने 20.05.2014 के सुबह पौने सात बजे स्कूल पहुँचते ही कंचनलता व उसके पति से पैसे मांगे तो दोनों बिगड़ गये। जयपाल ने गंदी गंदी गांलियां मादर चोद आदि दी। विरोध करने पर जयपाल, कंचनलता, अवधेश, प्रवेश ने मुझे घेर कर बंधक बना लिया। मैंने शिकायत करने की बात की तो सब ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की व मेरी जेब में रखे पैसे व मोबाइल निकाल लिये। तारासिंह, मदन लाल, आदि आ गये बचाया। कंचनलता व जयपाल ने भी उसी दिन मेरे विरूद्ध मामला दर्ज कराया उसी दिन मैंने भी थाना व एस0पी0 को प्रार्थना पत्र दिया पर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी। मैंने उसी दिन जिला अस्पताल बरेली में अपनी चोटों का परीक्षण स्वयं कराया। तब मैंने न्यायालय की शरण ली।

अतः इस स्तर पर परिवाद के अन्तर्गत धारा– 200 दं.प्र.सं के बयान तथा साक्षीगण के अन्तर्गत धारा– 202 दं.प्र.सं. के बयानों के आधार पर विपक्षीगण कंचनलता, जयपाल सिंह, अवधेश कुमार, प्रवेश कुमार के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला अन्तर्गत धारा– 323,504,342 भा0दं0सं0 का अपराध बनता प्रतीत होता है अतः अभियुक्तगण उपरोक्त में तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद सं0– 1607/16 मोर सिंह बनाम कंचन लता आदि विपक्षीगण कंचनलता, जयपाल सिंह, अवधेश कुमार, प्रवेश कुमार को अन्तर्गत धारा– 323,504,342 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह सम्मन हेतु पैरवी अन्तर्गत धारा 204 दं.प्र.सं. अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण जरिये साधारण/रजिस्ट्री सम्मन तलब हो।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनॉक 06.10.2018 को पेश हो।

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदपुर
बरेली।